न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं:-11 प्रवेश दिनांक 25.05.2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021

GCMS.NO. 2021/9

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.गजानन्द पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण

2.छोटी पत्नी नवलकिशोर जाति ब्राहमण

3.रामनारायण पुत्र मगंलराम जाति ब्राहमण

4.बाबू पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण

निवासीयान ग्राम बाढ़ ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावड़ा द्वारा ग्राम बाढ ढिगावड़ा के आराजी ख0 नं0 32/0.58 हैक्टेयर में से रकबा 0.12 किस्म चाही2 एवं रकबा 0.46 किस्म जाव2 खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान गजानन्द पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण छोटी पत्नी नवलकिशोर जाति ब्राहमण रामनारायण पुत्र मगंलराम जाति ब्राहमण बाबू पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम बाढ़ ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा 0.0.0130 हैक्टे0 भूमि में दुकान निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया । गैर सायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः गजानन्द पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण छोटी पत्नी नवलकिशोर जाति ब्राहमण रामनारायण पुत्र मगंलराम जाति ब्राहमण बाबू पुत्र मंगलराम जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम बाढ़ ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के विरूद्व बिना स्वीकृति के ग्राम बाढ़ ढिगावड़ा के आराजी ख0 नं0 32 हैक्टेयर भूमि में से 0.0130 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकान निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 0.455 रूपये का पचास गुणा राशि 23.00/- रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ
तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 20 पर ~~[illegible]~~ 23/-
90A
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार